

DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION
MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, DELHI-110 034.
O/o FAA/JOINT DIRECTOR (TTE)
(Ph. No.27321024, 27327771, Email:- rtitte.delhi@gov.in)

No. F.2 (16)/2022/RTI/Appeal No-1500/476-79

Dated: 13/05/22

Name of applicant	Date of Application	Reply given by PIO	Date of Appeal	Appeal No.	ID No.
Sh. Rishi Pal	21/10/2021	20/11/2021	07/01/2022	1500	5140

ORDER

Heard on 9th May 2022 at 1500 Hrs.

Present: - PIO- Present, S.O. (E-II)
Appellant – Absent

Considering the submissions of Appellant and perusal of documents available on record, it is observed that information furnished by the PIO is in order.

Further, he was not present to explain the grounds for instant Appeal.

Therefore, no interference is required at this stage under RTI Act, 2005.

Appeal disposed off, accordingly. If applicant is not satisfied with this direction, he may file second appeal before Hon'ble CIC, August Kranti Bhawan Bhikaji Cama Place, Delhi-67 within the stipulated time.



(Dr. O P Shukla)
FAA/JOINT DIRECTOR (TTE)

Sh. Rishi Pal
House No. C-1, 341, IInd Floor,
Sector- 11, Rohini, Delhi-110085

Copy for information and necessary action to:-

1. A.O. (E-II), DTTE, Delhi.
2. PIO (DTTE), Delhi.
3. The System Analyst, DTTE with the request for upload the same on the Departmental Website. (Copy of application filed by the appellant to the F.A.A. DTTE as first appeal is also enclosed.).

RTI Appeal No. 1500
uploaded
18/05/22

सेना में

श्रीमान सूचना अधिकारी
औद्योगिक एवं प्रशिक्षण निदेशालय

मुनि माधाराम मार्ग पीतमपुरा दिल्ली 28

RATI इन्टर 2005 के तहत सूचना

5152/55120
11/11/11

पैरी RAI सूचना के तहत I.T.I जहांगीर फ़ोर्गन टूल्स/मै
विषय:- किसी I.T.I में एं/ए. के रिटायर होने के समय उसके
रिटायरमेंट के पेंशन सम्बन्धीत कागजात पेंशन दफ़तर (P.O)
में भेजने के सम्बन्ध में।

1. जब किसी I.T.I में एं/ए. रिटायर होते हैं तो उनके रिटायरमेंट
के कागजात (फाइल) पेंशन दफ़तर (P.O) में रिटायरमेंट की तारीख
से कितने दिन पहले कम्प्लीट (तैयार) करके भेजे जाते हैं।
2. अगर किसी एं/ए. के रिटायरमेंट के कागजात पेंशन सम्बन्धीत
जान बुझकर अथवा पेंशन दफ़तर (P.O) में भेजे जाते हैं तो
उसके लिये जोन जिम्मेदार माना जाता है।
3. अगर किसी एं/ए. के रिटायरमेंट के पेंशन सम्बन्धीत कागजात
पेंशन दफ़तर (P.O) में समय पर न भेजे जाते हैं, तो उसमें
उनकी जिम्मेदारी तय की जाती है।
4. किसी एं/ए. के रिटायरमेंट के पेंशन सम्बन्धीत कागजात
अथवा/लेट भेजे जाते (P.O) के कारण ऐसा समय पर न
मिलने से जो आर्थिक (वित्तीय) हानी होती है। उसकी पूर्ति
किससे की जाती है। उसके लिये जोन जिम्मेदार होता है
विस्तृत जानकारी दी जाये।

5. जब कोई चित्त (लेखा विभाग सम्बन्धीत) कोई आदेश
क्वार्टर से I.T.I में भेजा जाता है, तो उस आदेश के
स्टाफ को बतलाने (नोट कराने) की जिम्मेदारी किसको है
6. जिस I.T.I में 20019 से 2002 में CA/DA के रिटायरमेंट
पेंशन सम्बन्धीत कागजात कम्प्लीट करके पेंशन दफ्तर
रिटायरमेंट के दिन भेजे गये हैं।

Rishuval

(RISHI PHL)

R/o C-1 / 341

Sec-11 - Rohini-Del

11-11-2021

8178475830